भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
आतारांकित प्रश्न सं. 4231
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: दालों का उत्पादन

4231. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में दलहन उत्पादन के निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य सहित, राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) देश में, विशेषकर बिहार में, दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई विशिष्ट पहल और नीतियां, बजट आवंटन और कार्यान्वयन का समय-सीमा सहित, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पहलों का किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव संबंधी प्रासंगिक आंकड़े क्या हैं;

(घ) विभिन्न राज्यों में बढ़े हुए दलहन उत्पादन का क्षेत्रीय वितरण और समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) दलहन उत्पादन के लिए, दलहन उत्पादकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता देने के लिए किए गए उपाय सहित, भविष्य की क्या योजनाएं और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): पिछले पांच वर्षों के दौरान लक्ष्य सहित देश में दलहन के राज्य-वार उत्पादन का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

बिहार सहित देश में दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार, 2 संघ राज्य क्षेत्रों सहित जम्मू और कश्मीर और लद्दाख सहित सभी 28 राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन-दलहन (एनएफएसएनएम-दलहन) लागू कर रही है जिसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से दाल के उत्पादन को बढ़ाना है। एनएफएसएनएम-दलहन के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली-आधारित प्रदर्शनों, नई जारी किस्मों/संकरों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, फसल सीजन के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों के क्षमता वर्धन आदि से संबंधित सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, भारत सरकार राज्यों को प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत, राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अनुकूलता भी प्रदान करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, एनएफएसएनएम दलहन के तहत फंड के राज्य-वार वितरण का विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से दलहनों के क्लस्टर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों (सीएफएलडी) के अंतर्गत नया केंद्रित दृष्टिकोण लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, किसानों को 10 वर्ष से कम पुराने दलहन बीज किस्मों के मिनीकिट निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं और आईसीएआर के माध्यम से किसानों को दलहनों के गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एनएफएसएनएम के अंतर्गत दलहनों पर 150 बीज केंद्र स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय बीज एजेंसियों और बीज केंद्रों के माध्यम से प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत राज्यों को राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अनुकूलता भी प्रदान करती है।

इसके अलावा, आईसीएआर, कानपुर स्थित आईसीएआर-भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान और इसके चार क्षेत्रीय केंद्रों, भोपाल, धारवाड़, बीकानेर और खोरधा में दलहन फसलों पर बुनियादी और कार्यनीतिक अनुसंधान कर रहा है। आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से खरीफ और रबी दलहनों पर

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के माध्यम से अनुप्रयुक्त अनुसंधान भी कर रहा है ताकि देश में दलहन की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादकता क्षमता और समग्र उत्पादन बढ़ाने हेतु स्थान-विशिष्ट उच्च उपज देने वाली किस्में और उनके अनुरूप उत्पादन प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित किए जा सकें। परिणामस्वरूप, वर्ष 2014-2024 के दौरान, देश में व्यावसायिक खेती के लिए विभिन्न दलहनों की 437 उच्च-उपज देने वाली किस्मों/संकरों को अधिसूचित किया गया है।

सरकार ने ठोस प्रयास किए और दलहन के मामले में लगभग आत्मनिर्भरता हासिल करने में सफल रही। किसानों ने खेती के क्षेत्र में 50 प्रतिशत की वृद्धि करके इस आवश्यकता को पूरा किया और सरकार ने उत्पाद की खरीद और लाभकारी कीमतों की व्यवस्था की।

सरकार दलहन की कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकने और उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दलहन उपलब्ध कराने हेतु उचित बाजार हस्तक्षेप हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के अंतर्गत तुअर, उड़द, चना, मूंग और मसूर जैसी प्रमुख दलहन का बफर स्टॉक रखती है। उपभोक्ताओं के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कीमतों को नियंत्रित करने में मदद हेतु दलहन की खरीद और भंडारण नियंत्रित वितरण के लिए किया जाता है। सरकार, कल्याण और पोषण कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना और एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के लिए भी दलहन की आपूर्ति करती है। सरकार पीएसएफ के अंतर्गत प्रमुख दलहन जैसे तुअर, उड़द, चना, मूंग, मसूर आदि का बफर स्टॉक रखती है।

उपभोक्ताओं को किफायती दामों पर दलहन उपलब्ध कराने के लिए, पीएसएफ में चने के स्टॉक को खुदरा चैनल के माध्यम से निपटान हेतु चना दाल में परिवर्तित करके जुलाई 2023 में भारत दाल की शुरुआत की गई। भारत दालों का वितरण एनसीसीएफ, नेफेड और केंद्रीय भंडार के अपने खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन, बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं वाले खुदरा विक्रेताओं के दुकानों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है ताकि अधिकतम उपभोक्ताओं तक पहुँचा जा सके।

सरकार ने केन्द्रीय बजट 2025-26 में, तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6-वर्षीय मिशन "दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन" शुरू करने की घोषणा की है। यह मिशन, जलवायु अनुकूल बीजों के विकास और व्यावसायिक उपलब्धता; प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि; उत्पादकता में वृद्धि; फसल-उपरांत भंडारण और प्रबंधन में सुधार करके किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने पर ध्यान देगा। केंद्रीय एजेंसियाँ (जैसे: नेफेड और एनसीसीएफ) इन 3 दलहन की खरीद करेंगी, जो अगले 4 वर्षों के दौरान इन एजेंसियों के साथ पंजीकरण कराने वाले और समझौते करने वाले किसानों से उपलब्ध होंगी।

दलहन उत्पादकों सहित किसानों को ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए, सरकार, संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) लागू कर रही है, जिसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के तहत, बटाईदार किसान सहित सभी किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण मिलता है। इसे सुगम बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अग्रिम ब्याज अनुदान (आईएस) प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' ढाँचा विकसित कर रहे हैं।

अनुबंध।

कुल दलहन का राज्य-वार उत्पादन और लक्ष्य

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

	उत्पादन लाख टन में					लक्ष्य लाख टन में				
राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आंध्र प्रदेश	10.95	10.54	10.76	8.23	9.59	13.05	10.39	12.99	13.03	11.95
असम	1.09	1.11	1.11	1.68	1.27	1.23	1.22	1.17	1.13	1.08
बिहार	3.77	3.88	4.14	3.99	4.01	4.81	3.72	5.05	4.64	6.08
छत्तीसगढ	4.48	3.87	4.75	3.65	4.51	5.76	6.63	8.69	7.65	6.53
गुजरात	18.09	27.01	17.93	15.47	19.36	8.73	13.17	16.63	19.11	20.01
हरियाणा	0.73	1.06	0.80	0.37	0.78	1.11	1.19	1.79	1.88	2.07
हिमाचल प्रदेश	0.60	0.75	0.49	0.49	0.45	0.67	0.75	0.76	0.91	0.74
झारखंड	9.05	8.98	7.61	7.64	9.68	8.26	8.68	9.80	7.95	7.93
कर्नाटक	20.65	19.72	17.57	16.69	18.88	21.68	18.69	22.59	23.29	22.42
मध्य प्रदेश	52.95	56.95	62.67	59.74	54.09	74.41	48.91	71.54	69.29	76.19
महाराष्ट्र	43.21	50.24	46.35	40.08	50.35	35.28	42.85	47.07	48.67	48.77
ओडिशा	4.31	4.81	4.95	5.47	3.02	4.57	5.22	5.40	5.45	5.89
पंजाब	0.31	0.76	0.33	0.69	0.64	0.40	0.68	0.80	0.66	0.47
राजस्थान	42.52	40.53	36.17	33.35	38.75	38.50	43.31	47.34	43.67	41.93
तमिलनाडु	4.72	4.99	5.03	3.86	3.70	5.42	5.84	6.90	5.11	4.20
तेलंगाना	5.90	5.76	4.97	3.61	3.83	5.54	5.99	6.87	6.80	7.17
उत्तराखंड	0.61	0.64	0.62	0.52	0.48	0.73	0.78	0.72	0.76	0.82
उत्तर प्रदेश	24.76	26.20	28.43	31.15	23.32	20.35	21.68	24.69	26.67	28.14
पश्चिम बंगाल	4.42	3.90	4.51	4.33	4.25	3.58	4.01	3.19	3.93	4.28
अन्य	1.51	1.32	1.39	1.45	1.42	1.92	6.29	1.51	1.90	2.33
अखिल भारतीय	254.63	273.02	260.58	242.46	252.38	256.00	250.00	295.50	292.50	299.00

*वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादन के आंकड़े तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार है।

अनुबंध II

पिछले 3 वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान, एनएफएसएनएम-दलहन के अंतर्गत राज्य-वार फंड आवंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	20.94	26.30	29.07
2	अरुणाचल प्रदेश	1.22	1.35	1.70
3	असम	72.61	82.82	82.86
4	बिहार	24.54	23.26	59.60
5	छत्तीसगढ	67.68	33.00	61.83
6	गोवा	0.09	0.06	0.09
7	गुजरात	13.02	11.57	16.07
8	हरियाणा	4.30	5.35	5.89
9	हिमाचल प्रदेश	1.73	2.43	1.93
10	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर	1.81	1.53	2.70
11	झारखंड	20.19	28.77	28.77
12	कर्नाटक	83.09	97.18	116.00
13	केरल	0.09	0.11	0.11
14	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	0.07	0.09	0.09
15	मध्य प्रदेश	153.02	223.70	224.87
16	महाराष्ट्र	68.76	103.79	100.69
17	मणिपुर	4.02	4.95	6.77
18	मेघालय	0.54	0.68	0.68
19	मिजोरम	0.58	0.77	0.86
20	नगालैंड	3.96	6.77	6.77
21	ओडिशा	37.72	40.02	80.35
22	पंजाब	1.15	1.43	1.79
23	राजस्थान	144.54	186.98	192.16
24	सिक्किम	1.09	1.83	1.52
25	तमिलनाडु	31.09	23.02	23.24
26	तेलंगाना	9.53	11.85	11.85
27	त्रिपुरा	1.45	1.80	1.52
28	उत्तर प्रदेश	47.69	60.63	60.63
29	उत्तराखंड	4.40	5.48	5.48
30	पश्चिम बंगाल	33.37	38.56	40.26
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कुल	**854.28**	**1026.08**	**1166.14**

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

******